प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2– मिशन निदेशक,
एन0एच0एम0,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

विषयः–प्रदेश में इन्हैन्स्ड कम्पन्सेशन स्कीम 2014 लागू करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राकेश कुमार, संयुक्त सचिव, स्वा0 एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या D.O No. 11026/11/2014-FP दिनांक 20.10. 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम "मिलेनियम डेवलपमेंट गोल" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए RMNCH+A गतिविधि का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाल ही में परिकलित FP 2020 के लक्ष्य निर्धारण में भी देश के उच्च प्राथमिकता वाले प्रदेशो में बंध्याकरण गतिविधियों की महत्ता को प्रमुखता के साथ परिलक्षित किया गया है।

2– विद्यमान बंध्याकरण–क्षतिपूर्ति योजना समस्त प्रदेशों में दिनांक 07 सितम्बर 2014 से प्रभावी है।

3– परिवहन की बढ़ती दरो का भारं जिनका वहन एक ग्राही द्वारा अपने घर से निकटतम सेवा स्थल तक पहुँचने हेतु किया जाता है, स्वास्थ्य लाभ के दौरान कार्य न करने की स्थिति में वर्तमान में प्रचलित उच्च श्रमिक दरो पर हुए श्रमिक दिवस मानदेय ह्रास, अन्य आनुषंगिक खर्च और साथ ही वर्तमान में जीवन यापन हेतु आवश्यक लागत में हुई अत्यधिक वृद्वि के आलोक्य में भारत सरकार ने बंध्याकरण गतिविधि में प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 11 उच्च प्राथमिकता वाले प्रदेशों में बढ़ाने का निर्णय लिया है।

4– तत्क्रम में प्रदेश शासन द्वारा इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश जारी किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में बंध्याकरण क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार पैकेज देय होगा –

ए. सरकारी स्वास्थ्य इकाईयां (सभी धनराशि रूपयों में)

क0	विवरण	महिला नसबन्दी			पुरुष नसबन्दी	
	पैकेज का विवरण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	पोस्ट पार्टम नसबन्दी	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	लाभार्थी	600	1400	2200	1100	2000
2	प्रेरक आशा	150	200	300	200	300
3	ड्रग्स और ड्रेसिंग	100	100	100	50	50
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	75	150	250	100	250
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी	25	50	50	–	–

	चिकित्सक					
6	नर्स / ए.एन.एम.	15	30	50	15	30
7	ओ.टी. तकनीशियन / सहायक	15	30	50	15	30
8	क्लर्क / डाक्यूमेण्टेशन	—	20	—	—	20
9	रिफ्रेशमेण्ट	10	10	—	10	10
10	अन्य विविध	10	10	—	10	10
	योग	1000	2000	3000	1500	2700

बी. मान्यता प्राप्त गैरसरकारी स्वास्थ्य इकाईयां / संगठन (सभी धनराशि रुपयों में)

क्रमांक	विवरण	महिला नसबन्दी		पुरुष नसबन्दी	
	पैकेज का विवरण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	इकाई	1350	2000	1300	2000
2	लाभार्थी	—	1000	—	1000
	योग	1500	3000	1500	3000

5-- योजना सम्बन्धी मुख्य बिन्दु तथा आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नानुसार है:–

1. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति संवेष्ठन (पैकेज) के तहत दी जाने वाली राशि हेतु निधि (बजट) की व्यवस्था पूर्व की भांति नसबन्दी क्षतिपूर्ति शीर्षक ए.3 (आर.ओ.पी के एफ.एम. आर. कोड सं0 ए.3) से होगी। किसी प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में पूरक पी.आई.पी. में उक्त घटक के अंर्तगत संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निधि का प्राविधान किया जा सकेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राहियों , प्रेरकों तथा समस्त श्रेणी के प्रदाताओ को उसी दिवस ,नियत सेवा स्थल पर जहॉ उक्त प्रक्रिया (बंध्याकरण सेवा) सम्पादित की गयी है, क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कर दी जाये। सेवा स्थल यह सुनिश्चित करेंगें कि कार्यस्थल का वातावरण ग्राही हेतु प्रेरक व सेवाप्रदाताओ हेतु समर्थकारी, सकारात्मक हो तथा लाभार्थी प्रेरकों व अन्य हितग्राहियो को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तत्क्रम में, भारत सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे।
3. महिला नसबंदी के बढ़े हुए क्षतिपूर्ति संवेष्ठन (पैकेज) में, जिसमें श्रमिक दिवस मानदेय ह्रास, परिवहन एवं भोजन, शल्य क्रिया उपरान्त स्वास्थ्य लाभ:- प्रतिपूर्ति तथा शल्य टीम को दी जाने वाली राशि भी सम्मिलित है, प्राविधनित राशि को वर्तमान प्रचलित दर रू0 1000/-- से बढ़ाकर रू0 2000/-- किया जाता है। इस पैकेज के अन्तर्गत लाभार्थी को रू0 600/-- के स्थान पर रू0 1400/-- की धनराशि प्रदान की जाएगी।
4. सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्थलों पर प्रसव पश्चात् बंध्याकरण सेवाएं (जिनको प्रसव के तुरंत पश्चात अथवा अधिकतम 07 दिनों के अंदर प्राप्त किया जाता है,) को प्रसव कराने वाली महिलाओ के मध्य अधिक से अधिक संख्या में अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रू0 3000/-- का नवीन पैकेज जारी किया जाता है।
5. पुरूष नसबंदी के बढ़े हुए क्षतिपूर्ति संवेष्ठन (पैकेज) में, जिसमें श्रमिक दिवस मानदेय ह्रास, परिवहन एवं भोजन, शल्य क्रिया उपरान्त स्वास्थ्य लाभ-- प्रतिपूर्ति तथा शल्य टीम को दी जाने वाली राशि भी सम्मिलित है, प्राविधनित राशि को

1088

Gautam-G.O

वर्तमान प्रचलित दर रू0 1500/– से बढ़ाकर रू0 2700/– किया जाता है। इस पैकेज के अन्तर्गत लाभार्थी को रू0 1100/– के स्थान पर रू0 2000/– की धनराशि प्रदान की जाएगी।

6. निजी अधिकृत स्वास्थ्य सेवा संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला एवं पुरूष नसबन्दी सुविधा प्रदान करने पर दिए जाने वाले संवेष्ठन (पैकेज) की धनराशि रू0 1500/– से बढ़ाकर रू0 3000/– की जाती है। इस संवेष्ठन (पैकेज) धनराशि में रू0 2000/– निजी संस्थान हेतु तथा रू0 1000/– लाभार्थी क्षतिपूर्ति हेतु प्राविधानित की गयी है। लाभार्थी हेतु दी जाने वाली धनराशि प्रथम बार प्रदान की जा रही है, क्योंकि पूर्व के क्षतिपूर्ति पैकेज में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था।

6– परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी अधिकृत स्वास्थ्य सेवा संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों पर पूर्व की भांति संशोधित क्षतिपूर्ति योजना वर्ष 2007 (No. N.11019/2/2006-TO/Ply) के नियम लागू माने जाऐंगे।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1675(1)/पांच–9–2014, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 – संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2 – संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनसंख्या स्थिरता कोष।
3 – महानिदेशक – परिवार कल्याण, महानिदेशालय, प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
4 – प्रदेश के समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5 – प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6 – प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय।
7 – प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज।
8 – प्रभारी कम्प्यूटर सेल।
9 – गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव